संख्या-705/चौवालिस-1-20/उ0वै0रि0/88

प्रेषक,

श्री आर0 रमणी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/नोयडा एवं
बीडा के मुख्य कार्यकारी।

लखनऊ : दिनांक 30 जुलाई, 1990

विषय :-सार्वजनिक उद्यमों के सेवकों को सेवानिवृत्ति के समय उनके अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदले में अवकाश के नकदीकरण की सुविधा प्रदान किया जाना।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1

वेतन समिति उत्तर प्रदेश (1987) तथा उस पर विचार करने के लिए गठित मुख्य सचिव समिति के प्रतिवेदन के संदर्भ में सांविधिक निगमों से संबंधित अधिनियमों/नियमों, कम्पनीज ऐक्ट, 1956 अथवा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत सार्वजनिक उद्यमों के आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन के संबंधित आर्टिकिल्स तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक उद्यमों पर नियंत्रण अधिनियम 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-41 सन् 1975) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय, शासनादेश संख्या-556/चौवालिस-1/1989-20/ उ0वै0रि0/88, दिनांक 16 सितम्बर, 1989 के क्रम में यह आदेश देते हैं कि सेवानिवृत्ति के समय जमा अवकाश के नकदीकरण की सुविधा जिस प्रकार से उक्त शासनादेश के अनुसार सार्वजनिक उद्यमों के पूर्णकालिक सेवकों को अनुमन्य की गई है उसी प्रकार से सार्वजनिक उद्यमों के उन सेवकों को भी अनुमन्य की जाय जिनकी मृत्यु सेवाकाल में हुई हो। अतः मृत्यु के समय कर्मचारी/अधिकारी के खाते में जमा उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद धनराशि उसके आश्रित को भुगतान कर दी जायेगी। उक्त समतुल्य नगद धनराशि की गणना निम्नसूत्र के अनुसार की जायेगी :-

नगद समतुल्य = $\dfrac{\text{मृत्यु के दिनांक को अनुज्ञेय वेतन एवं भत्ते}}{\quad}$ * 240 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन मृत्यु के दिनांक की संबंधित सेवक के अवकाश खाते में जमा अवशेष उपार्जित अवकाश उपार्जित अवकाश के दिनों की संख्या

2- उपर्युक्त सीमा तथा शासनादेश संख्या-556/चौवालिस-1/1989-20/उ0वै0रि0/88, दिनांक 16 सितम्बर, 1989 को संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
आर0 रमणी,
सचिव।

संख्या-705 (1)/चौवालिस-1/1989-20/उ0वे0रि0/88, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) शासन के संबंधित सचिव/विशेष सचिव।
(2) सचिवालय के संबंधित अनुभाग।
(3) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 (6 प्रतियों में)
(4) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
प्रेम शंकर,
विशेष सचिव।